भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-209

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

गैर-मान्यताप्राप्त विद्यालय

†209. श्री सुखदेव भगतः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में हुए अध्ययन 'भारत में गैर-मान्यताप्राप्त विद्यालय सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने में रुकावट' (2025) की रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर में करीब 22,298 विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसे गैर-मान्यताप्राप्त विद्यालयों की पहचान करने, उन्हें नियमित करने या बंद करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन स्कूलों के विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले अधिकार से वंचित न किया जाए के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है। केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषित वाले विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इसलिए ऐसे विषय, केंद्र सरकार के स्वामित्व/वित्तपोषित विद्यालयों के प्रबंधन से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इस प्रकार, गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों को विनिर्दिष्ट करना, उन्हें नियमित करना अथवा बंद करना संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार का विषय है।

तथापि, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम , 2009) के अंतर्गत, छह से चौदह वर्ष के आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निकटवर्ती विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटों की सीमा तक आरक्षण तथा ऐसे बच्चों को शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है।

******